झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–40 / 2020

दिपांकर दास उर्फ दिपांकर पात्रा .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री आशीष कुमार, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री नरेश प्र0 ठाकुर, ए0पी0पी0।

2 / 17.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता घाटशिला थाना काण्ड संख्या 72 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक की बेटी ट्यूशन गई थी लकिन वापस नहीं आई। पूछताछ पर, सूचक को पता चला कि याचिकाकर्त्ता उसे भगा कर ले गया था। धारा 164 सीआर0पी0सी0 के तहत बयान में, उसने कहा है कि वह याचिकाकर्त्ता और अन्य लोगों के साथ टाटा गई थी और उसके बाद वह चकुलिया गई थी, जहाँ वह याचिकाकर्त्ता की बहन के घर में रही थी। उक्त कथन में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्त्ता द्वारा उसके खिलाफ कोई अपरोक्ष कार्य या यौन प्रगति नहीं की गई है। याचिकाकर्त्ता 02.10.2019 से हिरासत में है।

दं0प्र0सं0 की धारा 164 के अन्तर्गत पीड़िता के दर्ज बयान के संदर्भ में, याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, घाटशिला की संतुष्टि पर घाटशिला थाना काण्ड संख्या 72 वर्ष 2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)